

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

54 / 2021
25.08.2021

- 1-हिमांशु यादव पुत्र स्व. रामजीलाल जाति यादव निवासी सोरन रोड अन्नपूर्णा टोंक तहसील व जिला टोंक राज0
2-श्रीमति समता देवी पत्नि स्व. रामजीलाल जाति यादव निवासी सोरन रोड अन्नपूर्णा टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

अपीलान्ट्स

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज0

रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26.02.2021 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थिति:-

1. श्री योगेश व्यास, अभिभाषक
2. पेशाकार सरकार

-अपीलान्ट्स
-रेस्पाडेण्ट

निर्णय

दिनांक 30.11.2022

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 26.02.2021 से श्री रामजीलाल यादव, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 33 टोंक शहर तहसील टोंक (जो अपीलान्ट के पिता व पति है) का प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेण्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं पेशाकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट्स के पिता व पति स्वर्गीय रामजीलाल यादव राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत वार्ड नं0 33 टोंक शहर के प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार थे, जिनका प्राधिकार पत्र संख्या 839 व पोश मशीन संख्या 1722 है। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष यह तथ्य निर्णय पारित करने से पूर्व आ चुका था कि रामजीलाल यादव की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उसके वारिसान को पक्षकार बनाकर उनको सुना जाना आवश्यक था। जिला रसद



जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी का आदेश विरोधाभासी है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मृतक रामजीलाल की दुकान पर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम गेहूँ का दुरुपयोग करना अपनी रिपोर्ट में बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उपभोक्ताओं को गेहूँ के वितरण के दौरान इन्टरनेट नहीं आने के कारण पोश मशीन नहीं चल रही थी, जिसके कारण रामजीलाल यादव ने एक कोपी में राशनकार्ड नम्बर व उपभोक्ताओं का नाम लिखकर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ का वितरण कर दिया था। निरीक्षण के समय पोश मशीन में स्टॉक कम पाया गया था। नया सूचना पट्ट दुकान के गेट के बाहर लगा हुआ था। जांच में पुराने जांच पट्ट को देखा गया था तथा पी डी एस गेहूँ प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया जा सका था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में 91 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करने का आरोप भी रामजीलाल यादव पर लगाया गया है जो मिथ्या रूप से लगाया गया था। केरोसीन दुकान पर पडी जरीकेनों में भरा हुआ था जिसका प्रवर्तन निरीक्षक ने कोई माप नहीं किया गया और मनमाने रूप से 91 लीटर केरोसीन का आरोप लगा दिया, जिसका उल्लेख जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में नहीं किया है। यदि वास्तव में केरोसीन का भी दुरुपयोग पाया जाता तो निर्णय में केरोसीन के दुरुपयोग बाबत भी तथ्य अंकित किये जाते। अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। वक्त निरीक्षण रेस्पोंडेंट द्वारा किसी भी स्वतन्त्र गवाहान के बयान लेखबद्ध नहीं किये, केवल मात्र वार्ड पार्षद कजोड के द्वारा यह कहना कि डीलर समय पर दुकान नहीं खोलता व समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करता, उक्त पार्षद कजोड के द्वारा रामजीलाल यादव से रंजिश रखने के कारण झूठे बयान लेखबद्ध करवाये है। लाईसेंस की शर्तों के अनुसार किसी भी माह में स्टॉक व विक्रय किये गये सामान की माह के समाप्ति के पश्चात 5 दिन के भीतर जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में सूचना प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। मृतक डीलर के विरुद्ध ऐसा आरोप नहीं है कि उसने माह समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि में कोई सूचना नहीं दी हो अथवा गलत सूचना दी हो। जिस समय दुकान का निरीक्षण किया गया था उस समय कोविड-19 के कारण विकट स्थितियां थी फिर भी मृतक ने सरकार द्वारा जारी आदेश/निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आमजन को खाद्य सामग्री वितरित की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि डीलर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शिकायत की जांच प्रवर्तन अधिकारी टोक द्वारा दिनांक 11.05.2020 को डीलर की दुकान की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताएं किया जाना पाया गया। वक्त निरीक्षण पोश मशीन के स्टॉक की स्थिति एवं भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ की मात्रा शून्य पायी गयी। डीलर द्वारा 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ का दुरुपयोग किया गया है। वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर सूचना पट्ट पर सूचनाओं को प्रदर्शन सही नहीं पाया गया। वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है। रजिस्टर मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/अभियोग / 2020/452 दिनांक 11.05.2020 द्वारा निलम्बित किया गया एवं डीलर को कारण बताओ नोटिस क्रमांक / अभियोजन/458/ दिनांक 11.05.2020 जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जबाब मांगा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 25.06.2020 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है। इन्टरनेट नहीं आने की वजह से कापी में राशनकार्ड नम्बर व उपभोक्ता का नाम लिखकर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया गया था, इसलिए निरीक्षण के समय स्टॉक कम पाया गया था। बाद में नेट आने पर पोश मशीन पर चढ़ाकर स्टॉक पूरा कर दिया गया। नया सूचना पट्ट गेट के बाहर है, जांच के दौरान पुराना सूचना पट्ट देखा गया था। प्रार्थी



जिला कलेक्टर
राजशाही


बीमार रहने की वजह से स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं कर पाया था और जो रजिस्टर घर पर था, किन्तु मैं घर जाने की स्थिति में नहीं था। समय पर पी डी एस गेहूँ प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया जा सका था। अप्रार्थी डीलर के जवाब के परिपेक्ष में प्रवर्तन अधिकारी टोक से जवाब पर टिप्पणी चाही गयी। प्रवर्तन अधिकारी ने जवाब पर टिप्पणी दिनांक 07.07.2020 को निम्नानुसार प्रस्तुत की। अप्रार्थी डीलर को कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक/रसद/अभियोग/458 दिनांक 11.05.2020 के बिन्दु संख्या 1 में आरोप है कि पोस मशीन में स्टॉक अनुसार भौतिक सत्यापन करने पर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ कम पाया गया। डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.06.2020 में अप्रार्थी डीलर ने जवाब में लिखा है कि इन्टरनेट नही आने की वजह से कापी में राशन कार्ड नम्बर व उपभोक्ता का नाम लिखकर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया था, इसलिए स्टॉक में गेहूँ कम पाया गया। प्रार्थी डीलर के उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि विभाग के इस प्रकार से वितरण कापी में राशनकार्ड नम्बर व उपभोक्ता का नाम लिखकर वितरण तथा बाद में पोस मशीन पर चढ़ाकर स्टॉक पूरा करना इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने विभागीय दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ का दुरुपयोग किया गया है। अप्रार्थी डीलर का नोटिस का बिन्दु संख्या 2 का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि वक्त जाच सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं था। नोटिस के बिन्दु संख्या 4 में आरोप है कि समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है। इसके जवाब में अप्रार्थी डीलर ने अपने जवाब में लिखा है कि समय पर पी डी एस गेहूँ प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर सका था। अप्रार्थी डीलर ने भविष्य में गलती नहीं करने बाबत अपने जवाब में लिखा है।

डीलर द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब असंतोषप्रद है। डीलर की दुकान में वक्त निरीक्षण पोस मशीन में स्टॉक अनुसार भौतिक सत्यापन करने पर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ कम पाये गये थे। इस प्रकार डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का दुरुपयोग कर खाद्य सुरक्षा के पात्र उपभोक्ताओं में वितरण नहीं कर गबन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स व परोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलान्धीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्री रामजीलाल यादव, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 33 टोक शहर तहसील टोक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शिकायत की जांच प्रवर्तन अधिकारी टोक द्वारा दिनांक 11.05.2020 को जांच करने पर निम्नांकित अनियमितताएं पाई गई। वक्त निरीक्षण पोस मशीन के स्टॉक की स्थिति एवं भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ की मात्रा शून्य पायी गयी। अप्रार्थी डीलर द्वारा 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ का दुरुपयोग किया गया है। वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर सूचना पट्ट पर सूचनाओं को प्रदर्शन सही नहीं पाया गया। वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है। रजिस्टर मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जबाब मांगा गया। डीलर द्वारा दिनांक 25.06.2020 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

इन्टरनेट नहीं आने की वजह से कॉपी में राशनकार्ड नम्बर व उपभोक्ता का नाम लिखकर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया गया था, इसलिए




जिला कलेक्टर
टोक

निरीक्षण के समय स्टॉक कम पाया गया था। बाद में नेट आने पर पोश मशीन पर चढ़ाकर स्टॉक पूरा कर दिया गया। यह है कि नया सूचना पट्ट गेट के बाहर है जांच के दौरान पुराना सूचना पट्ट देखा गया था। यह है कि प्रार्थी बीमार रहने की वजह से स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं कर पाया था और जो रजिस्टर घर पर था, किन्तु मैं घर जाने की स्थिति में नहीं था। यह है कि समय पर पी.डी.एस. गेहूँ प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया जा सका था। डीलर के उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि विभाग के इस प्रकार से वितरण कॉपी में राशनकार्ड नम्बर व उपभोक्ता का नाम लिखकर वितरण तथा बाद में पोस मशीन पर चढ़ाकर स्टॉक पूरा करना इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने विभागीय दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ का दुरुपयोग किया गया है।


अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, परन्तु जिला रसद अधिकारी की आदेशिका दिनांक 25.06.2020 पर डीलर के हस्ताक्षर हैं, जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। डीलर ने अपने जवाब में अंकित किया कि इन्टरनेट नहीं आने की वजह से कॉपी में राशनकार्ड नम्बर व उपभोक्ता का नाम लिखकर 32 क्विंटल 61 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया गया था, परन्तु राज्य सरकार/विभाग द्वारा इस प्रकार से कॉपी में राशनकार्ड नम्बर व उपभोक्ता का नाम लिखकर वितरण करना तथा बाद में पोस मशीन पर चढ़ाकर स्टॉक पूरा करने बाबत कोई निर्देश नहीं है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का उपभोक्ताओं को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुड़ा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज में सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने डीलर द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अतः इसी आदेश की धारा 8 व 9 के तहत प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 26.02.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कोलेक्टर
टोंक